सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ ब्राजील
और
भारत के वायदा बाजार आयोग
के बीच
परामर्श और सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान
से संबंधित समझौता ज्ञापन

सांविधिक प्राधिकरण

सेक्यूरिटीज कमीशन ऑफ ब्राजील, इसको बाद में सी वी एम कहा गया है, वित्त मंत्रालय से जुड़ी एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है और प्रतिभूति बाजारों के विनियमन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। सी वी एम की सक्षमता का प्रसार अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक है जिसमें द्विपक्षीय संबंध बनाना भी शामिल है।

वायदा बाजार आयोग की स्थापना अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम,1952 की धारा 3 के अधीन, भारत में वस्तुओं के वायदा व्यापार को विनियमित करने के लिए की गई है।

प्रयोजन

डेरिवेटिव बाजार में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा सी वी एम और वायदा बाजार आयोग के बीच उनके डेरिवेटिव कानूनों और विनियमनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग और परामर्श की तदनुरूपी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए;

अपने कानूनों और विनियमों, जिनको इसमें परिभाषित किया गया है, के प्रवर्तन अथवा सुरक्षित अनुपालन के लिए अपने-अपनी कार्यक्षेत्रों व उनको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को सुकर बनाने के लिए एक दूसरे को यथा-संभव पूर्ण परस्पर सहयोग प्रदान करने की इच्छा से;